सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 81/2007 **दायर तारीख :– 22.05.2007**

1. धूणिया पुत्र प्रभात (फौत)
   - 1/1. भंवरी देवी पत्नि धूणिया
   - 1/2. बाबूलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र धूणिया
   - 1/3. दीपक } पुत्रान धूणिया
   - 1/4. पवन }
   - 1/5. मीरा देवी } पुत्रिया धूणिया
   - 1/6. इन्दरा देवी }
   - 1/7. लीला पुत्री राजपाल पुत्र धूणिया
   - 1/8. विकास }
   - 1/9. विक्रम } पुत्रान राजपाल
   - 1/10. आशीष }

   समस्त जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. रमस्या पुत्र समस्या (फौत)
   - 1/1. सोनी देवी पत्नि रमस्या
   - 1/2. कृपा राम
   - 1/3. सांवताराम
   - 1/4. रामस्वरूप
   - 1/5. संतोष पुत्र रमस्या पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी भोपास वाया चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीगण
श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता प्रति॰सं॰ 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक 10.01.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया ग्राम बागावास चौरासी में वादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 336 से लगते हुए सिवायचक भूमि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

खसरा नम्बर 363 रही है, जिस पर कब्जे काश्त के आधार पर वादी को साबिक खसरा नम्बर 363 मे से 1 बीघा 8 बिसवा भूमि दिनांक 20.05.1970 को अलाट हुई थी। वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 336 के पास लगते हुए भूमि साबिक खसरा नम्बर 363 जो खसरा नम्बर 336 के बतरफ पूर्व में लगती हुई थी पर वादी काबिज था तथा आज भी काबिज काश्त है।

प्रतिवादी संख्या 1 को भी दिनांक 20.05.1970 को साबिक खसरा नम्बर 365 मे से 9 बीघा 4 बिसवा भूमि अलाट हुई थी। खसरा नम्बर 363व 365 काफी बडे रकबे के नम्बर है तथा दोनो नम्बरों को साबिक नक्शे में स्पष्ट रूप से पृथक–पृथक दर्शित कर रखा है।

हाल सैटलमेंट कर्मचारियों ने वादी के कब्जे काश्त की भूमि जो रकबा 1 बीघा 8 बिसवा वादी को अलाट हुई थी, का वास्तविक रकबा 0.35 हैक्टेयर बनता है। हाल सैटलमेंट में वादी के कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत वादी के नाम खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर दर्ज किया जो पुराने रकबे 1 बीघा 8 बिसवा की तुलना में 11 एयर कम दर्ज है, वहीं वादी के कब्जे काश्त की भूमि जो हाल खसरा नम्बर 598 है, से अन्यत्र दर्ज किया है। वादी का कब्जा खसरा नम्बर 598 पर शुरू से ही रहा है, वादी की खातेदारी में दर्ज खसरा नम्बर 595 पर वादी का कब्जा नहीं रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 को साबिक खसरा नम्बर 365 मे से अलाट हुई भूमि रकबा 9 बीघा 4 बिसवा भूमि को हाल सैटलमेंट मे मौका स्थिति के विपरीत साबिक खसरा नम्बर 363 के बतरफ पश्चिम जहां वादी का कब्जा काश्त है, गलत तरीके से दर्ज किया गया है एवं मिलान क्षेत्रफल में भी हाल खसरा नम्बर 598 जो प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज किया गया है, को साबिक खसरा नम्बर 365/1 से बनना मौका स्थिति के विपरीत गलत दर्ज किया गया है। हाल खसरा नम्बर 598 की भूमि पुराने रिकार्ड के मुताबिक खसरा नम्बर 365 की भूमि नहीं रही है। प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा साबिक खसरा नम्बर 265 की भूमि पर ही रहा है तथा आज भी साबिक खसरा नम्बर 365 से बने नये नम्बरों पर ही प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कभी भी खसरा नम्बर 598 की भूमि पर काश्त नहीं की है, साबिक खसरा नम्बर 365 की वास्तविक भूमि मे काफी नम्बर आज भी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है।

अतः निवेदन है कि वादी को ग्राम बागावास चौरासी खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर के बजाय खसरा नम्बर 598/0.35 हैक्टेयर पश्चिम भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। पैराकार सरकार उपस्थित।

3. प्रतिवादी का जवाब रहा कि साबिक खसरा नम्बर 336 मे 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की खातेदारी भूमि रही है तथा 1/2 हिस्सा दीगर खातेदारान की खातेदारी मे है। वादी को कब्जे काश्त के आधार पर हाल सैटलमेंट में खसरा नम्बर 595 मे से 0.24 हैक्टेयर का खातेदार सही दर्ज किया गया है, वादी का खसरा नम्बर 598 पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है, बल्कि खसरा नम्बर 598 पर प्रतिवादी संख्या 1 का ही कब्जा काश्त रहा है तथा खसरा नम्बर 598 साबिक खसरा नम्बर 365 से बना है। वादी को साबिक खसरा नम्बर 363 मे से तथा प्रतिवादी को खसरा नम्बर 365 मे से भूमि का आवंटन हुआ था, एवं उसी अनुसार खसरा नम्बर 363 का नया खसरा नम्बर 595 एवं 365 का नया नम्बर 598 बनाया गया है तथा हाल सैटलमेंट में कार्यवाही सम्पन्न हुए अर्सा 22 वर्ष वाद इस प्रकार वाद खडा कर प्रस्तुत वाद किया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। यह भी कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी भूमि 598 व 526, 525 के 1/2 हिस्से मे कुआ व रिहायश बना रखी है, व काबिज काश्त रहकर काश्त करता रहा है। प्रस्तुत वादपत्र में वादी ने गलत मनमाने तथ्य अंकित किये है व दावा मय हर्जे–खर्चे खारिज फरमाया जावे।

4. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम की गई।

   1. आया वादी को साबिक खसरा नम्बर 363 (वाके ग्राम बागावास चौरासी) मे से 1 बीघा 8 बिसवा भूमि दिनांक 20.05.1990 को आवंटन हुई ? –– जिम्मे वादी
   2. आया उक्त आवंटित भूमि वादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 336 के बतरफ पूर्व मे लगती हुई थी तथा जिस पर वादी लगातार आज दिनांक तक काबिज है ? –– वादी
   3. आया वादी को आवंटित भूमि से नवीन खसरा नम्बर 598 बना है एवं उसी पर वादी का कब्जा काश्त है ? –– जिम्मे वादी
   4. आया वादी के नाम खसरा नम्बर 595 रकबा 0.24 हैक्टेयर गलत दर्ज किया गया है, वादी जिसे दुरूस्त करवाने का अधिकारी है ? –– वादी
   5. आया वादी को नवीन खसरा नम्बर 598 रकबा 0.35 हैक्टेयर बतरफ पश्चिम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ? –– जिम्मे वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. आया नवीन खसरा नम्बर 598 साबिक खसरा नम्बर 365 से बना है, जो प्रतिवादी को आवंटन हुआ है, प्रतिवादी का कब्जा काश्त है, जिस पर वादी का कोई हक नहीं बनता है ? —— जिम्मे प्रतिवादी

5. वादी ने अपने वादपत्र/तनकियात के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 63 संवत् 2059–2062 Ex.-1, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 179 संवत् 2059–2062 Ex.-2, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 275 Ex.-3, नकल नामान्तकरण पंजिका Ex.-4, नकल नामान्तकरण पंजिका Ex.-5, नकल मिलान क्षेत्रफल Ex.-6, नकल नक्शा हाल सर्वे शीट Ex.-7, नकल जमाबन्दी संवत् 2030–2033 Ex.-8, नकल जमाबन्दी संवत् 2030–2033 Ex.-9, नकल नक्शा चकतराशी लठ्ठा Ex.-10 आदि पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

   मौखिक साक्ष्य के रूप में धूणिया उर्फ धूणीलाल पुत्र प्रभात PW-1, बनवारी पुत्र प्रभात PW-2, घासीलाल पुत्र भगवानसहाय PW-3 के मुख्य परीक्षण शपथ पत्र पेश कर न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है।

6. प्रतिवादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में रामस्वरूपपुत्र रमस्या DW-1, कैलाश पुत्र गौरीसहाय DW-2, चिरंजीलाल पुत्र खैरातीमल DW-3 के शपथ पत्र पेश कर न्यायालय में परीक्षित करवाया गया।

   तथा साक्ष्य खण्डन में बनवारी लाल पुत्र प्रभातराम PW-2 को परीक्षित किया गया।

7. बहस वकुलाय सुनी गई।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया।

   तनकी संख्या 1 लगायत 5 का साबित करने का भार वादी पर रहा, जिनका एकसाथ विवेचन किया जा रहा है। ग्राम बागावास चौरासी में वादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 336 से लगते हुए सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 363 रही है, जिस पर कब्जे काश्त के आधार पर वादी को साबिक खसरा नम्बर 363 मे से 1 बीघा 8 बिसवा भूमि दिनांक 20.05.1970 को अलाट हुई थी। वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 336 के पास लगते हुए भूमि साबिक खसरा नम्बर 363 जो खसरा नम्बर 336 के बतरफ पूर्व में लगती हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 को भी दिनांक 20.05.1970 को साबिक खसरा नम्बर 365 मे से 9 बीघा 4 बिसवा भूमि अलाट हुई थी। खसरा नम्बर 363व 365 काफी बडे रकबे के नम्बर है तथा दोनो नम्बरों को साबिक नक्शे में स्पष्ट रूप से पृथक–पृथक दर्शित कर रखा है। वादी के कब्जे काश्त की भूमि जो रकबा 1 बीघा 8 बिसवा वादी को अलाट हुई थी, का वास्तविक रकबा 0.35 हैक्टेयर बनता है। हाल सैटलमेंट में वादी के कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत वादी के

Web Copy - Not Official

नाम खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर दर्ज किया जो पुराने रकबे 1 बीघा 8 बिसवा की तुलना में 11 एयर कम दर्ज है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नजरी नक्शा साबिक Ex.-10 एवं हाल नक्शा Ex.-7 का मिलान किया गया, साबिक नक्शे में दर्ज साबिक खसरा नम्बर 363 के बतरफ पूर्व में साबिक खसरा नम्बर 365 दर्ज किया हुआ है एवं पश्चिम में साबिक खसरा नम्बर 336, 337 दर्ज किया हुआ है। साबिक नक्श के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनो खसरा नम्बर 363 व 365 पृथक–पृथक नम्बर रहे है एवं काफी बडे रकबे के नम्बर रहे है। अधिवक्ता वादी का तर्क रहा कि वादी का कब्जा हाल खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर पर नहीं रहा है, बल्कि हाल खसरा नम्बर 598/0.35 हैक्टेयर भाग पर रहा है, जो साबिक खसरा नम्बर 336 से लगती हुई भूमि पर रहा है। यह भी साबिक खसरा नम्बर 336 से हाल खसरा नम्बर 525, 526 बनना उभय पक्ष मानते है, इस बाबत उभय पक्षों में कोई मतभेद भी नहीं है। नक्शा में हाल खसरा नम्बर 598 को देखने से ही प्रथम दृष्टया यह बात जाहिर हो रही है कि हाल खसरा नम्बर 598 साबिक खसरा नम्बर 363 के स्थान पर ही बनाया गया है। मिलान क्षेत्रफल में इसे साबिक खसरा नम्बर 365/1 से बनना गलत दर्ज किया है। वादी के गवाह PW-1 ने अपनी जिरह में प्रतिवादी के नाम उसके कब्जे काश्त के विपरीत उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज करना बयान किया है, जो जिरह में खण्डित नहीं हुआ है। गवाह PW-2 ने भी अपनी जिरह में रमस्या के जमीन में कुआ बिजली होना तो बताया लेकिन दूसरे की जमीन में होना बयान किया है, गवाह PW-3 ने भी प्रतिवादी का कुआ व रिहायशी मकान दीगर खातेदारी बलाईयों की मे होना बयान किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी रमस्या का जो कब्जा है वह पास की अन्य भूमि पर है। प्रतिवादी साक्ष्य में गवाह कॅ.1 जो स्वयं प्रतिवादी है ने उसके पिता साबिक खसरा नम्बर 365 मे से 9 बीघा 4 अलाट होना माना है, वहीं धूणिया को साबिक खसरा नम्बर 363 मे से भूमि आवंटन होना माना है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षण मे यह भी स्वीकार किया है कि साबिक खसरा नम्बर 365 व 336 एक–दूसरे से लगते हुए नहीं है, बल्कि दूर–दूर है। जिरह में यह भी स्वीकार किया कि हमारा कब्जा सैटलमेंट से पहले खसरा नम्बर 365 मे था तथा आज भी पुराने खसरा नम्बर 365 वाली जगह पर ही काबिज है, खसरा नम्बर 363 से प्रतिवादी का कोई संबंध नहीं है। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उनके कब्जे काश्त के नये नम्बर पुराने खसरा नम्बर 363 मे दिखा दिये तो गलत दिखाये है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। गवाहों द्वारा किये गये कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादी को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

साबिक खसरा नम्बर 363 मे से 1 बीघा 8 बिसवा जमीन एवं प्रतिवादी को साबिक खसरा नम्बर 365 मे से 9 बीघा 4 बिसवा जमीन अलाट हुई थी, तथा दोनो खसरा नम्बर अलग–अलग है एवं काफी बडे रकबे के नम्बर रहे है। अलाटमेंट के बाद नक्शे मे तरमीम नहीं होने से हाल सैटिलमेंट के दौरान साबिक से हाल खसरा नम्बर बनाते समय हाल खसरा नम्बर 598 को साबिक खसरा नम्बर 365 के बनना गलत दर्शाया है, क्योंकि साबिक खसरा नम्बर 363 की चौडाई बहुत ज्यादा है, उस सम्पूर्ण चौडाई को पार करके साबिक खसरा नम्बर 365 का भाग साबिक खसरा नम्बर 363 के पूर्व से पश्चिम में नहीं आ सकता है, ऐसी स्थिति में वादी ने तनकी संख्या 1 लगायत 3 को अपने पक्ष में बखूबी साबित किया है। वादी ने अपने दस्तावेजी साक्ष्य से हाल खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर पर कब्जा नहीं होकर खसरा नम्बर 598/0.35 हैक्टेयर साबिक खसरा नम्बर 336 से लगती हुई भूमि पर कब्जा काश्त होना कहा है। प्रतिवादी संख्या 1 को साबिक खसरा नम्बर 365 मे से अलाट हुई भूमि रकबा 9 बीघा 4 बिसवा भूमि को हाल सैटलमेंट मे मौका स्थिति के विपरीत साबिक खसरा नम्बर 363 के बतरफ पश्चिम जहां वादी का कब्जा काश्त है, गलत तरीके से दर्ज किया गया है एवं मिलान क्षेत्रफल में भी हाल खसरा नम्बर 598 जो प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज किया गया है, को साबिक खसरा नम्बर 365/1 से बनना मौका स्थिति के विपरीत गलत दर्ज किया गया है। हाल खसरा नम्बर 598 की भूमि पुराने रिकार्ड के मुताबिक खसरा नम्बर 365 की भूमि नहीं रही है। साबिक खसरा नम्बर 365 की वास्तविक भूमि मे काफी नम्बर आज भी सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। वादी की खातेदारी में हाल खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर भूमि दर्ज हुई है, जबकि रकबा 1 बीघा 8 बिसवा से 0.35 हैक्टेयर भूमि बनती है। इस प्रकार वादी अपनी खातेदारी रकबा दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर तनकी संख्या 1 लगायत 5 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर रहा। प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे एवं अपने जिम्मे तनकी के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वादी के जिम्मे तनकियात के विवेचन में स्पष्ट हो चुका है कि खसरा नम्बर 598 साबिक खसरा नम्बर 363 के पश्चिम भाग की जगह बनाया गया है, जबकि साबिक खसरा नम्बर 365 साबिक खसरा नम्बर 363 के पूर्व की तरफ स्थित रहा है तथा साबिक खसरा नम्बर 363 काफी चौडाई का काफी बडे रकबे का नम्बर रहा है, ऐसे में साबिक खसरा नम्बर 365 की भूमि साबिक खसरा नम्बर 363 के पश्चित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की तरफ आना संभव नहीं है। अतः तनकी संख्या 6 विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

9. यह भी कि वादी को साबिक खसरा नम्बर 363 मे से 1 बीघा 8 बिसवा भूमि आवंटन हुई, जिसका वर्तमान रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि बनता है, वादी के नाम वर्तमान में दर्ज खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर है, जबकि वादी ने अपना कब्जा साबिक खसरा नम्बर 336 से लगते हुए होना अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है। साबिक खसरा नम्बर 336 से हाल खसरा नम्बर 526, 525 बनाये गये है, ऐसी स्थिति में वादी को हाल खसरा नम्बर 598/0.35 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 525, 526 से लगती हुई भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं वादी की खातेदारी में दर्ज हाल खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर को सिवायचक दर्ज किया जाना तथा हाल खसरा नम्बर 598 के मिलान क्षेत्रफल में साबिक खसरा नम्बर 365/1 के बताय 363 बनना दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत एवं उचित पाता हूँ।

आदेश

वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वादी को ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 598/0.35 हैक्टेयर (खसरा नम्बर 526 से लगते हुए) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर की खातेदारी से वादी का नाम हजफ कर सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 598 को साबिक खसरा नम्बर 365/1 के बजाय खसरा नम्बर 363 से बनना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करे। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.01.2018 को सुनाया गया।

30.01.2018 संशोधन नोट :– वाद शीर्षक में अंकित वादिया सं. 1/7 लीला पत्नी राजपाल पढा जावें।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :— उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :— मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. धूणिया पुत्र प्रभात (फौत)
   1/1. भंवरी देवी पत्नि धूणिया
   1/2. बाबूलाल उर्फ राधेश्याम पुत्र धूणिया
   1/3. दीपक } पुत्रान धूणिया
   1/4. पवन }
   1/5. मीरा देवी } पुत्रिया धूणिया
   1/6. इन्दरा देवी }
   1/7. लीला पुत्री राजपाल पुत्र धूणिया
   1/8. विकास }
   1/9. विक्रम } पुत्रान राजपाल
   1/10. आशीष }

   समस्त जाति मीणा निवासी बागावास चौरासी तहसील विराटनगर जिला जयपुर

—— वादीगण

बनाम

1. रमस्या पुत्र समस्या (फौत)
   1/1. सोनी देवी पत्नि रमस्या
   1/2. कृपा राम
   1/3. सांवताराम
   1/4. रामस्वरूप
   1/5. संतोष पुत्र रमस्या पत्नि सीताराम जाति मीणा निवासी भोपास वाया चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 85 / 2016 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी ..... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री मदनलाल जाट एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम बागावास चौरासी खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर के बजाय खसरा नम्बर 598/0.35 हैक्टेयर पश्चिम भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ ही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करें।

सुना गया। वादीगण का दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। वादीगण अपने जिम्मे तनकियात को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य साबिक करने में सफल रहे हैं। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वादी को ग्राम बागावास चौरासी के खसरा नम्बर 598/0.35 हैक्टेयर (खसरा नम्बर 526 से लगते हुए) का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 595/0.24 हैक्टेयर की खातेदारी से वादी का नाम हजफ कर सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा मिलान क्षेत्रफल में खसरा नम्बर 598 को साबिक खसरा नम्बर 365/1 के बजाय खसरा नम्बर 363 से बनना दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल नहीं करे। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 10.01.2018 को सुनाया गया।

30.01.2018 संशोधन नोट :– वाद शीर्षक में अंकित वादिया सं. 1/7 लीला पत्नी राजपाल पढा जावें।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख ....** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मीजान		शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।